राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला काँगड़ा, हि0प्र0 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/11 से 3/14

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

(क) महाविद्यालय प्रशासन द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के निपटारे हेतु लम्बित पैरों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। परिणामस्वरूप गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरा निपटारा नहीं हो सका। इस प्रकार गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर कोई कार्रवाई न करने से अंकेक्षण का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है तथा लेखों में सुधार भी नहीं हो पाता है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ में लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों के निपटारे/समायोजन हेतु अविलम्ब अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि पैरों के निपटारे के साथ–साथ लेखों में सुधार हो सके। वर्तमान अंकेक्षण के उपरान्त गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के बकाया पैरों की स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "A"** पर दिया गया है।

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	₹ लाखों में
1	10	राजकीय शुल्कों की सम्पूर्ण राशि का राजकीय कोष में जमा न करवाकर राशि का कम जमा करवाना	0.13
2	12	अग्रधन की राशि का समायोजन न करना	2.88
3	13	हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 के अनुसार सामान की खरीद न करना	विवरण पैरे में दिया गया है

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पपरोला के अवधि 1.4.11 से 31.3.14 के निधि लेखाओं का अंकेक्षण, श्री अशोक सूद (सहायक नियन्त्रक) द्वारा 19.5.2014 से 3.6.2014 के दौरान पपरोला में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया हैः–

आयः–	स्नातक विभाग	08/2011, 08/2012, 08/2013
	स्नातकोत्तर विभाग	09/2011, 09/2012, 09/2013
	छात्रावास (लड़के)	09/2011, 09/2012, 10/2013
	छात्रावास (लड़कियाँ)	09/2011, 08/2012, 08/2013
व्ययः–	स्नातक विभाग	08/2011, 08/2012, 08/2013
	स्नातकोत्तर विभाग	09/2011, 09/2012, 09/2013
	छात्रावास (लड़के)	09/2011, 11/2012, 08/2013
	छात्रावास (लड़कियाँ)	09/2011, 08/2012, 08/2013

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपन महाविद्यालय द्वारा उपपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया है। महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना उपलब्ध न करवाने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधानाचार्य महाविद्यालय में आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत्त थेः–

क्र0सं0	आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री चंचल कुमार शर्मा	1.4.11 से 31.12.12
2	श्री वाई0के0 शर्मा	1.1.2013 से लगातार

3 अंकेक्षण शुल्कः–

राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पपरोला के अवधि 4/11 से 3/14 के वर्तमान निधि लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर ₹21000/– आँका गया है जिसे प्राचार्य द्वारा पंजाब नैशनल बैंक, पपरोला के बैंक ड्राफ्ट संख्या 559028 दिनाँक 22.7.2014 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दिया गया है। अंकेक्षण शुल्क का विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

वित्तीय वर्ष	आय (स्नातक विभाग)	आय (स्नातकोत्तर विभाग)	आय (छात्रावास लड़के)	आय (छात्रावास लड़कियाँ)	कुल आय	अंकेक्षण शुल्क
2011–12	3531009	1709959	478950	1454503	7174421	7000
2012–13	4373140	1742930	375027	1000132	7491229	7000
2013–14	3893022	1793751	540617	1109570	7336960	7000
					कुल अंकेक्षण शुल्क	**₹21000**

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) राजकीय आयुर्वैदिक महाविद्यालय पपरोला द्वारा प्रस्तुत महाविद्यालय के स्नातक विभाग, स्नातकोत्तर विभाग, छात्रावास (लड़के) व छात्रावास (लड़कियों) के अवधि 1.4.2011 से 31.3. 2014 के विभिन्न निधि लेखों की वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है।

(ख) जाँच में पाया गया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों की बैंक समाधान विवरणियों में जो गल्तियाँ/कमियाँ पाई गई तथा जिनका समायोजन/निपटारा किया जाना अपेक्षित था वह नहीं किया जा रहा है। जैसे बैंक समाधान विवरणियों में वर्षों से जो uncashed cheques दर्शाए जा रहे है, उनकी वर्तमान में भी वहीं स्थिति है जबकि उन्हें इन चैकों रद्द करके सम्बन्धित राशि का निधि आय में ईन्द्राज किया जाना अपेक्षित था। इसी प्रकार बैंकों द्वारा दिए गए ब्याज के सम्बन्ध में भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई तथा रोकड़ बही में गलत तरीके से व्यय का भी इन्द्राज किया गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में वित्तीय स्थिति/बैंक समाधान विवरणी में जो समायोजन प्रविष्टियाँ की गई है उनका तदानुसार मिलान किया जाए ताकि रोकड़ बही का रख–रखाव नियमानुसार हो सके तथा प्रत्येक माह के अन्त में बैंक समाधान विवरणी बनाते समय अनावश्यक प्रविष्टियों से भी बचा जा सके।

5 रोकड़ बही का रख–रखाव नियमानुसार न किया जानाः–

रोकड़ बहियों की जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा रोकड़ बहियों का रख–रखाव नियमानुसार नहीं किया गया है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2005 से 31.3. 2011 के पैरा 15, 16 , 31, 31 (1) में भी रोकड़ बहियों के रख–रखाव में की जा रही त्रुटियों को उजागर किया गया था परन्तु महाविद्यालय द्वारा इस सन्दर्भ में कोई सुधार नहीं लाया गया। महाविद्यालय द्वारा स्नातक व स्नातकोत्तर विभाग के छात्र निधि लेखों की दो–दो रोकड़ बहियाँ (एक काँगड़ा सैन्ट्रल को0बैंक तथा दूसरी पंजाब नैशनल बैंक की) बैंक खातों के अनुसार लगाई गई है परन्तु माह के अन्त में किसी भी रोकड़ के अन्तशेष का बैंक में जमा राशि के साथ मिलान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त नियमानुसार रोकड़ बही की प्रत्येक प्रविष्टि प्रतिदिन आहरण एवं वितरण अधिकारी/प्रधानाचार्य से सत्यापित व प्रतिहस्ताक्षरित करवाई जानी अपेक्षित होती है, परन्तु स्नातक विभाग की के0सी0सी0 बैंक से सम्बन्धित रोकड़ प्रधानाचार्य द्वारा इकटठी 3 वर्ष की अंकेक्षण के दौरान दिनाँक 30.5.2014 को सत्यापित की गई है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी प्रतीत होता है कि यह रोकड़ बैंक पास बुक के अनुसार

लिखी गई है क्योंकि जब जब बैंक द्वारा पास बुक के इन्द्राज में कोई गलती की गई है वहीं गलती रोकड में भी दर्ज है। इसके अतिरिक्त जाँच में यह भी पाया गया कि जिस दिन चैक काटा गया रोकड़ बही में उसी दिन ईन्द्राज न करके जिस दिन बैंक द्वारा भुगतान किया गया उस दिन ईन्द्राज किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के 3 वर्षों में लगभग प्रत्येक रोकड़ वही के प्रत्येक पृष्ठ पर प्रत्येक दिन किए गए योग को भी बीच–2 में काट कर ठीक किया गया है तथा रोकड़ बही व वाउचर फाईलों में कोई वाऊचर नम्बर उल्लेखित नहीं है जोकि लेखांकन पद्धति व नियमों की अवहेलना है। इस प्रकार वाऊचर नम्बरों के अभाव में व्यय को ठीक प्रकार से ज़ाँच सम्भव नहीं हो सकी है। इसके अतिरिक्त नियमानुसार प्रत्येक निधि शीर्ष का अलग–अलग हिसाब किताब रखा जाना अपेंक्षित है परन्तु महाविद्यालय द्वारा छात्रों से शुल्क वसूली करते समय भिन्न–'भिन्न शीर्ष के अन्तर्गत जैसे शिक्षा शुल्क, छात्र कल्याण निधि, प्रैक्टिकल फण्ड, स्वास्थ्य निधि, पुस्तकालय निधि, भवन निधि, पहचान पत्र निधि इत्यादि का कोई अलग से लेखा जोखा नहीं रखा गया है जिससे पता चल सके कि कब किस शीर्ष के अन्तर्गत कितनी राशि वसूली गई, कितनी व्यय की गई व कितनी शेष रही। अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट प्रकट है कि संस्थान में रोकड़ बही/लेखों के रख रखाव में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता है ताकि इस सन्दर्भ में अविलम्ब प्रभावी कदम उठाऐं जाऐं तथा रोकड़ का रख–रखाव नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए एवं रोकड़ की प्रत्येक प्रविष्टि को प्रतिदिन महाविद्यालय प्रधानाचार्य से प्रतिहस्ताक्षरित करवाया जाए तथा माह के अन्त में अन्तशेष का बैंक में जमा राशि के साथ मिलान करके व नियमानुसार वाँछित प्रमाण पत्र देकर रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

6 उचित वित्तीय प्रबन्धन न करने के कारण महाविद्यालय को हुई ब्याज की हानि के सन्दर्भ मेंः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि छात्र निधि लेखों से सम्बन्धित आय का कुशल वित्तीय प्रबन्धन न करने के कारण महाविद्यालय को हजारों रूपये की हानि हो रही है। महाविद्यालय की विभिन्न छात्र निधियों से सम्बन्धित लाखों रूपये विभिन्न बैंकों के बचत खातों में जमा पड़े है तथा जमा राशि पर साधारण ब्याज की दर से ही ब्याज अर्जित किया जा रहा है। उदाहरण के रूप में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के बचत खाता संख्या 1802152 में दिनाँक

12.4.2007 से ₹5 लाख जमा पड़े है। इस खाते में लगभग सात वर्षों से कोई लेनदेन नहीं हुआ है अपितु केवल ब्याज (साधारण) अर्जित किया गया है। यदि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा उचित वित्तीय प्रबन्धन किया जाता व इस राशि के अतिरिक्त इसी प्रकार की अन्य राशियों का एक समुचित भाग सावधि जमा योजना में निवेश किया जाता तो उच्च दर पर ब्याज अर्जित करके महाविद्यालय को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय हो सकती थी जिसे छात्रों के कल्याण पर/सुविधाऐं प्रदान करने पर व्यय किया जा सकता था। अतः परामर्श दिया जाता है कि उचित वित्तीय प्रबन्धन करते हुए छात्र निधियों से सम्बन्धित बचत खातों में जमा अतिरिक्त राशियों का एक समुचित भाग सावधि जमा योजना में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि उच्च दरों पर ब्याज अर्जित हो सके।

7 माँग व वसूली का रजिस्टर तैयार न करनाः—

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय में छात्रों की फीस वसूली के सम्बन्धित में माँग व वसूली रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है जिसकी अनुपलब्धता में यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता है कि प्रत्येक छात्र से पूरी फीस वसूली की जा चुकी है अथवा नहीं? इसके अतिरिक्त जाँच में पाया गया कि कई कई छात्रों द्वारा हॉस्टल की फीस जमा करवाते समय पूरे वर्ष की फीस इकटठी जमा करवा दी जाती है तथा कुछ द्वारा आधे वर्ष की फीस जमा करवाई जाती है। उदाहरणतः दिनाँक 8.9.2011 को श्री विक्रम कुमार, रोल नं0 1677 द्वारा आधे वर्ष की हास्टल फीस की ₹5700/— जमा करवाई गई तथा उसी दिन श्री आदर्श पुण्डीर रोल नं0 1694 द्वारा पूरे वर्ष की फीस की ₹9250 जमा करवाई गई। इस प्रकार माँग व वसूली रजिस्टर की अनुपलब्धता में यह पता नहीं चल सका श्री विक्रम कुमार द्वारा अपनी शेष फीस/शुल्क जमा करवा दिए गए है अथवा नहीं। अतः माँग व वसूली रजिस्टर को तैयार न करने का कारण स्पष्ट किए जाएं तथा उक्त रजिस्टर तैयार करके महाविद्यालय में छात्रों के प्रवेश लेने के उपरान्त उनके देय फीस/शुल्क तथा छात्र से वसूली गई फीस/शुल्क का पूर्ण ईन्द्राज सम्बन्धित रजिस्टर में करना सुनिश्चित किया जाए।

8 छात्रों से फीस एवं शुल्क की वसूली योग्य राशियों के पूर्ण अभिलेख प्रस्तुत न करनाः—

(क) अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाए गए अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार कुछ छात्रों द्वारा पूर्ण शुल्क जमा नहीं करवाए गए है। अतः उच्च स्तरीय

जाँच उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक छात्र से उसके पूर्ण शुल्क वसूल कर लिए गए है। किसी प्रकार की कम वसूली हेतु की अवस्था में अब पूर्ण वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(i) दिनाँक 15.9.2011 को श्री सुरेश कुमार, रोल नं0 1693 से कूल ₹14950 (Room Rent ₹5400, Electricity Charges ₹5250, ₹800, Common Room Rent ₹1000, Student Fund ₹1000, Dilapidiated Fund ₹1000, Fine Fund ₹500) की वसूली की गई। उक्त राशि का ईन्द्राज फीस वसूली रजिस्टर के पृष्ठ 48 पर किया गया। जाँच में पाया गया कि उक्त छात्र से अन्य 4 वर्षों से सम्बन्धित की गई किसी भी वसूली का ईन्द्राज नहीं लिया गया जिसके कारण स्पष्ट किए जाए व इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) दिनाँक 14.9.12 को श्री विक्रम ठाकुर रोल नं0 1677 से 5 माह के हास्टल शुल्क के रूप में ₹4860 (Room Rent ₹1500, Electricity Charges ₹1460, ₹400, Common Room Rent ₹500, Student Fund ₹500, Dilapidated Fund ₹500) की वसूली की गई। इस राशि का ईन्द्राज पृष्ठ 43 पर किया गया। जाँच में पाया गया कि छात्र द्वारा 7/13 में हॉस्टल छोड़ गया। इस प्रकार छात्र से शेष मासों के हास्टल शुल्क की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिन्हें आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

(iii) फीस वसूली रजिस्टर के पृष्ठ 11 के अनुसार बैच 2010 के छात्रों, डा0 शील व डा0 नीरज कुमार से फीस की प्रथम किश्त के रूप में प्रत्येक से ₹16975 की वसूली की गई परन्तु दूसरी किश्त के रूप में ₹12975/– की वसूली से सम्बन्धित कोई अभिलेख व ईन्द्राज अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएं।

(iv) फीस वसूली रजिस्टर के पृष्ठ–6 अनुसार डा0 विवेक ठाकुर से वर्ष 2010–11 के शिक्षा शुल्क की ₹4600/– (दूसरी किश्त) की वसूली नहीं की गई है जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा उक्त उचित स्त्रोत से वसूली कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(v) स्नातकोत्तर विभाग से सम्बन्धित फीस वसूली रजिस्टर के पृष्ठ 255 पर डा0 रमेश प्रसाद (बैच–2008) रोल नं0 201 से दिनाँक 12.9.11 की गई वसूली कुल ₹5760 का ईन्द्राज किया गया जबकि नियमानुसार उनसे कुल शुल्क ₹12975/– की वसूली करनी अपेक्षित थी। अतः

कम वसूली की गई शुल्क वसूली ₹7215/– के कारण स्पष्ट किए जाएं व उनसे पूर्ण वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(vi) वसूली रजिस्टर के पृष्ठ 301 के अनुसार दिनाँक 12.9.2012 को डा0 सतीश कुमार सिंह, रोल नं0 326 से कुल ₹12975 की वसूली की गई दर्शाई गई जिसमें शिक्षा शुल्क की ₹9200 की वसूली दर्शाई गई जबकि यह वसूली केवल ₹8375/– की थी जिसमें शिक्षा शुल्क के रूप में केवल ₹4600/– की वसूली की गई थी। अतः कम वसूल की गई ₹4600/– की वसूली उचित स्त्रोत से कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ख) अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत छात्रा छात्रावास से सम्बन्धित माँग व वसूली रजिस्टर प्रस्तुत जिसमें वर्ष 2010 से पहले प्रवेश किए छात्राओं का लेखा जोखा रखा गया है, की जाँच में पाया गया निम्न वर्णित छात्राओं द्वारा अपने शुल्क की राशि जमा नहीं करवाई गई है जिसके कारण स्पष्ट किए जाए तथा अपेक्षित राशि की वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(i) कु0 कीरती गुप्ता पुत्री श्री आर0के0 गुप्ता, बैच 2006–07, रोल नं0 1489 व 1605 से वर्ष 2007–08 के हास्टल शुल्क (Room Rent ₹3600, Electricity Charges ₹3500 ₹400 Common Room Rent ₹500, Student Fund ₹500, Dilapidated Fund ₹500= Total ₹9000) की माँग व वसूली रजिस्टर पृष्ठ 30 के अनुसार वसूली नहीं की गई है।

(ii) कु0 अंशु पठानिया, बैच 2009, रोल नं0 1676 से वर्ष 2009–10 के हास्टल शुल्क की दूसरी किश्त (Room Rent ₹1800, Electricity Charges ₹1750= Total ₹3550) की माँग व वसूली रजिस्टर पृष्ठ 118 के अनुसार वसूली नहीं की गई है।

(iii) शिवानी शर्मा, बैच 2006 से हास्टल शुल्क की दूसरी किश्त (Room Rent ₹1800, Electricity Charges ₹1750= Total ₹3550) की माँग व वसूली रजिस्टर के पृष्ठ 30 के अनुसार वसूली नहीं की गई है।

(iv) माँग व वसूली रजिस्टर के पृष्ठ 87 के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि निम्न वर्णित छात्रों से वर्ष 2012–13 के शुल्क की ₹9000/– (कमरे का किराया ₹3600, बिजली ₹3500, बर्तन ₹400, कॉमन रूम ₹500, छात्र निधि ₹500, डिलापिडेटिड फण्ड ₹500) की वसूली नहीं की गई है। अतः जाँच उपरान्त उक्त फीस की वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

क्र0सं0	छात्र का नाम	बैच	रोल नं0	फीस वसूली रजिस्टर पृ0
1	कु0 शिखा शर्मा	2008	1580	87
2	कु0 पूजा राणा	2010	1691	132
3	कु0 शितल	2010	1707	133
4	कु0 पूजा डोगरा	2010	1732	201

(v) उपरोक्त विवरण की तरह श्री महेश कुमार, बैच 2008 रोल नं0 1737 से वर्ष 2012–13 के आधे शुल्क वसूली से सम्बन्धित कोई अभिलेख रिकार्ड में उपलब्ध नहीं करवाए गए। इसी प्रकार दिनाँक 29.8.2012 को श्री नीरज कश्यप द्वारा ₹5450 अपने शुल्क के रूप में जमा करवाए गए दर्शाए गए है परन्तु उनकी फीस वसूली रजिस्टर में कोई ईन्द्राज नहीं किया गया है, जिसके कारण स्पष्ट किए जाए तथा इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 सरकारी राशि/राजकीय शुल्कों को राजकीय कोष में देरी से जमा करवाया जानाः–

नियमानुसार राजकीय शुल्कों को वसूली के अगले दिन अथवा अगले दिन अवकाश की स्थिति में उससे अगले राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित होता है परन्तु जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा सरकारी राशि को वसूली के उपरान्त कई–दिनों के पश्चात राजकीय कोष में जमा करवाया जाता है जबकि इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2005 से 3/2011 के पैरा 9 में भी आपत्ति उठाई गई थी परन्तु महाविद्यालय द्वारा इस सन्दर्भ में कोई सुधारात्मक कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई जिसके कारण स्पष्ट किए जाए तथा भविष्य में नियमों की अनुपालना में राजकीय शुल्कों को वसूली के अगले दिन राजकीय कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

10 राजकीय शुल्कों की सम्पूर्ण राशि का राजकीय कोष में जमा न करवाकर ₹13361/– कम जमा करवानाः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार कुछ मामलों में छात्रों से वसूल किए गए राजकीय शुल्कों की राशि को पूर्ण रूप से राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया

है जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा इस सन्दर्भ में महाविद्यालय स्तर पर जाँच करके पूर्ण राशि राजकीय कोष में जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(क) छात्रों के छात्रावास से सम्बन्धित फीस वसूली रजिस्टर के पृष्ठ 26, 27 व 28 के अनुसार दिनाँक 1.11.2011 से 15.11.2011 में ₹23400/- की रूमरैन्ट के रूप में तथा ₹1000 की विलम्ब शुल्क के रूप में अर्थात कुल ₹24400/- की वसूली की गई जबकि राजकीय कोष में 1 माह उपरान्त चालान संख्या 18 दिनाँक 13.12.2011 द्वारा ₹23400/- ही जमा करवाई गई। इस प्रकार ₹1000/- कम जमा करवाई गई।

(ख) पृष्ठ 33 के अनुसार दिनाँक 27.3.2012 व 28.3.2012 को रूम रैन्ट की ₹3600/- व विलम्ब शुल्क की ₹261 अर्थात कुल ₹3861 की वसूली की गई जिसमें से ₹3800 चैक संख्या 516953 दिनाँक 29.3.2012 द्वारा राजकीय कोष में जमा करवाई गई दर्शाई गई परन्तु सम्बन्धित चालान अंकेक्षण में सत्यापित नहीं करवाया गया जिसे आगामी अंकेक्षण में सत्यापित करवाया जाए तथा कम जमा करवाई गई ₹61 को भी जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ग) छात्रों के छात्रावास के वसूली रजिस्टर के पृष्ठ 94 व 95 के अनुसार माह 8/12 (25.8.12 तक) के दौरान राजकीय शुल्कों के रूप में कुल ₹15408/- की वसूली की गई जबकि राजकीय कोष में दिनाँक 25.8.2012 को केवल ₹11308 जमा करवाई गई तथा शेष ₹4100 कम जमा करवाई गई है।

(घ) दिनाँक 17.9.2013 को डा0 उज्जवल कान्त से रूम रैन्ट के रूप में वसूली की गई ₹4600 को राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया है जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं व उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ङ) दिनाँक 5.1.2012 को चैक संख्या 516963 द्वारा ₹3600 राजकीय कोष में जमा करवाए गए दर्शाए गए है परन्तु सम्बन्धित चालान अंकेक्षण में सत्यापित नहीं करवाए गए जिसमें उक्त राशि के वास्तव में जमा करवाने की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः अपेक्षित चालान आगामी अंकेक्षण में सत्यापित करवाया जाए।

11 प्रवेश प्रविवरणिका (Prospectus) के अनुसार फीस की वसूली/Refund न करनाः-

प्रवेश प्रविवरणिका (Prospectus) के अनुसार महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों को अपने विभिन्न शुल्क वर्ष में दो बार माह मार्च व सितम्बर में छः-छः माह की दो किश्तों में जमा करवाने ही अपेक्षित होते है। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि निम्न वर्णित छात्राओं

से उनके हास्टल शुल्क छः–छः माह की किश्तों में न लेकर 9 माह व 3 माह में वसूले गये है। अतः जिन नियमों व आदेशों के अन्तर्गत यह शुल्क वसूले गये है उन्हें दर्शा कर की गई कार्रवाई को उचित ठहराया जाए।

(क) दिनाँक 14.8.2012 को कु0 शैलजा ठाकुर व बबिता कुमारी सें हास्टल शुल्क की 9 माह के शुल्क कुल ₹7478 की वसूली की गई।

(ख) दिनाँक 2.8.2013 को डा0 ईशु से पुनः प्रवेश शुल्क के साथ 9 माह के शुल्क की राशि ₹7728 की वसूली की गई।

(ग) दिनाँक 2.8.2013 को डा0 अन्जु व शुशला देवी से 3 माह के हास्टल शुल्क ₹4176 की वसूली की गई।

(घ) शिक्षा सत्र 2012–13 के प्रोपैक्टस के Chepter 5 की शर्त 3 (6) के अनुसार "There will be no refund of fees and funds after cut off date of admission i.e. 31.10.2012, however 60% of funds (except fees) can refunded up to 31.10.2012" अभिलेख की जाँच में पाया गया कि दिनाँक 31.12.2012 को कु0 स्वाती धीमान को उसके द्वारा जमा करवाए गए शुल्क राशियों के 60**%** भाग के रूप में ₹3045 वापिस की गई। अतः प्रोसपैक्टस के शर्तों की अवहेलना कर वापिस की गई राशि/भुगतान को उचित ठहराया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से उक्त राशि की वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

12 अग्रधन की ₹288617/– का समायोजन न करना:–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा निम्न वर्णित अग्रधन राशियों के समायोजन नहीं किया गया है जिसके कारण स्पष्ट किया जाए व समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दर्शाए जाएं। इसके अतिरिक्त वर्णित अग्रधन भुगतानों में क्रम संख्या 1 से 3 पर वर्णित अग्रधन छात्र निधियों पर उचित प्रभार नहीं है। अतः उचित स्त्रोत से इसकी प्रतिपूर्ति करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

क्र0 सं0	जिसे राशि प्रदान की गई	राशि	चैक सं0	उद्देश्य
1	डा0 पुषपिन्द्र सिंह	5000	68304	I.E.C. Meeting
2	प्रधानाचार्य आयुविज्ञान महाविद्यालय	20000	034166	CCTM visit
3	डा0बी0एल0 मैहरा	15000	764676	-do-
4	मनैजर, एच0पी0एफ0एफ0 बिलासपुर	148617	964700	फर्नीचर हेतु अग्रधन
5	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग बैजनाथ	100000	727286	रिपेयर हेतु
	योग	**₹288617**		

13 हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 के अनुसार सामान की खरीद न करनाः–

Purchase of goods up to monetary value not exceeding ₹3000/- (Three Thousand Rupees) only on each occasion subject to a maximium of ₹50,000/- (FiftyThousand Repees) in a financial year, may be made by the Head of Department, Controlling Officer and Drawing and Disbursing Officer without inviting quotations or bids on the basis of certificate to be recorded by the quthorized officer in the following format:-

"I --------------------------------am personally satisfied that the goods purchased are of the requisite quality and specification and have been purchased from a reliable supplier at a reasonable price"

And the concerned procuring officer shall keep a record of goods purchased without inviting quotations and on the each occasion, shall work out the cumulatine total of such purchases made during the financial year.

तथा नियम 98 के अनुसारः– Purchase of goods costing above ₹3000@& (Three thousand rupees) only and up to Rs. 100000/- (one Lac rupees) only on each occasion may be made on the recommendations of a duly constituted Local Purschse Committee consisting of three members of an appropriate level as may be decided by Head of the department. The said committee shall survey the market to ascertain the reasonableness of rates, quality and specifications and identify the appropriate supplier. Before recommending placement of the purchase order, the members of the committee shall jointly record a certificate as under. "Certified that we, the following members of the purchase committee are jointly and individually satisfied that the goods recommended for purchase are of the requisite specification and quality, priced at the prevailing market rate and the supplier recommended is reliable and competent to supply the goods in question."

तथा नियम 100 के अनुसारः– A demand for goods shall not be divided into small quantities to make piece meal purchases to avoid the necessity of obtaining the sanction of the competent authority required with reference to the estimated value of the total demand.

कौडल औपचारिकताऐं पूर्ण किए बिना की गई खरीद व भुगतानों के कुछ का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

दिनाँक	आपूर्तिकर्ता का नाम/बिल सं0	खरीदे गए सामान का विवरण	भुगतान की गई राशि	अभियुक्तियाँ
19.10.11	अन्शुल इलैक्ट्रोनिक्स/बिल संख्या 249 दिनाँक 12.10.11	सैमसंग फ्रीज 300 लीटर की क्षमता वाला छात्राओं के छात्रावास हेतु	33500	उक्त खरीद से पूर्व कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया जबकि नियमानुसार महाविद्यालय द्वारा प्रस्ताव पारित करना आवश्यक था। इस क्रय हेतु कोई निविदाऐं नहीं ली गई जिनकी अनुपलब्धता में किसी प्रकार के अधिक भुगतान को नहीं नकारा जा सकता। इसके अतिरिक्त उक्त सामान को लगाने के उपरान्त पुराने सामान जैसे पुरानी मोटर नलके इत्यादि की (Condem Stock Register) में कोई स्टॉक प्रविष्टि नहीं ली गई जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा उचित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।
28.9.2012	महालक्ष्मी सैनिटेशन/बिल सं0 119 दिनाँक 18.9.12 बिल सं0 125 दिनाँक 21.9.12 बिल सं0 124 दिनाँक 20.9.12 बिल सं0 130 दिनाँक 25.9.12	8 Ply beds 8 Ply beds 15 कुर्सियों की मुरम्मत 2 पानी की टॉकियों के स्टैण्ड	4400 4400 600 3636	
12.6.13	162	2 एच0पी0 पम्प	10800	
4.6.13	159	7 नलके पीतल दर 144	1008	
16.6.13	101	पी/एफ वुडन लॉग 5 पीस दर ₹2750 एक	13750	
		पी/फिक्सिंग बैड शीट 6 पीस दर ₹305	1830	
		पी/फिक्सिंग सीलिंग शीट 15 पीस दर ₹225	3375	
4.6.13	160	15 पीस नलके पीतल 0144	2160	
10.12.12	मै0 गप्पु फोटोस्टेट	7440 कापी दर ₹1	7440	उक्त कार्य हेतु कोई कौडल औपचारिकताऐं पूर्ण नहीं की गई तथा कोई निविदाऐं इत्यादि नहीं ली गई जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं। बिल में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि यह फोटोस्टेट कार्य किस प्रकार के पत्रों का था। अतः पूर्ण विवरण देकर छात्र निधियों पर उचित प्रभार ठहराते हुए अनुपालना आगामी अंकेक्षण मे दर्शाई जाए।
		11520 कापी दोनों तरफ	8640	

फरवरी 2014	मै0 अंशुल इलैक्ट्रोनिक/बिल संख्या 581 दिनाँक 7.2.14	गैस चूल्हा रैगुलैटर	950	इस क्रय से पूर्व कोई कौडल औपचारिकताऐं पूरी नहीं की गई अर्थात निविदाऐं इत्यादि आमन्त्रित नहीं की गई। इसके अतिरिक्त उक्त सामान को नए स्टॉक रजिस्टर में मदानुसार दर्ज न करके इकटठी एक ही प्रविष्टि पृष्ठ 495 पर ली गई। अतः स्टॉक प्रविष्टि मदानुसार न करने के कारण भी स्पष्ट किए जाएं तथा अब मदानुसार स्टॉक प्रविष्टि करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए। जाँच में पाया गया कि नये स्टॉक रजिस्टर में पुराने स्टॉक रजिस्टर के बकाया सामान को स्थानान्तरित/ईन्द्राज नहीं लिया गया है। अतः स्टॉक रजिस्टर में पुराने रजिस्टर के बकाया सामान का ईन्द्राज न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।
		गैस चूल्हा रैगुलैटर	1950	
		हॉट प्लेट	850	
		मिक्सी व गराईन्डर	2900	
		जूसर	1800	
		ईण्डक्शन प्लेट	2900	
		योग	**₹106889**	

महाविद्यालय के अभिलेख की जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निम्नविवरणानुसार उक्त वर्णित नियमों की अवहेलना करके निम्नविवरणानुसार निविदाएं आमन्त्रित किए बिना ही एवं वाँछित प्रमाण पत्र दिए बिना ही, कौडल ओपचारिकताओं से बचने हेतु छोटे छोटो बिलों में खरीद की गई है जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इस अनियमितता को नियमित करवाया जाए।

14 साँस्कृतिक कार्यक्रम हेतु की गई खरीद से सम्बन्धित अनियमितताएंः—

स्नातक विभाग (का0से0कोप0 बैंक से सम्बन्धित रोकड बही) की जाँच करने पर पाया गया कि दिनाँक 19.5.2011 को कुल ₹47028/— का भुगतान विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को महाविद्यालय मे सम्पन्न हुए विभिन्न साँस्कृतिक कार्यक्रमों में विभिन्न सामान की आपूर्ति करने हेतु किया गया। प्रधानाचार्य द्वारा अपने पत्र संख्या 2616 दिनाँक 19.5.2011 द्वारा सम्बन्धित सहायक को इन बिलों का भुगतान करने हेतु आदेश दिये गये जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि डा0 श्री टेक चन्द (नियन्त्रक, सांस्कृतिक कार्यक्रम) द्वारा महाविद्यालय में दिनाँक 31.1.2011 से 2.2.2011 के दौरान सम्पन्न हुई साँस्कृतिक गतिविधियों से सम्बन्धित व्यय की गई ₹46681 के बिलों का भुगतान उनको किया जाए। इस व्यय बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि

निम्नविवरणानुसार अधिकाँशतः बिल साँस्कृतिक गतिविधियों के बाद अर्थात दिनाँक 2.2.2011 के बाद के है तथा बिलों में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि वर्णित व्यय किस आयोजन से सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त सामान की खरीद व खपत से सम्बन्धित भी कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः महाविद्यालय द्वारा की गई खरीद व किए गये भुगतान को उचित ठहराते हुए अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

क्र0सं0	बिल का विवरण	राशि
1	बिल संख्या 408 दिनाँक 13.2.11, मै0 कात्यायनी जनरल स्टोर	196
2	बिल संख्या 409 दिनाँक 13.2.11, मै0 कात्यायनी जनरल स्टोर	25
3	बिल संख्या 410 दिनाँक 13.2.11, मै0 कात्यायनी जनरल स्टोर	43
4	बिल संख्या 441 दिनाँक 23.2.11, मै0 कात्यायनी जनरल स्टोर	60
5	बिल संख्या 446 दिनाँक 23.2.11, मै0 कात्यायनी जनरल स्टोर	678
6	बिल संख्या 450 दिनाँक 24.2.11, मै0 कात्यायनी जनरल स्टोर	30
7	बिल संख्या 523 दिनाँक 29.1.11, मै0 कात्यायनी जनरल स्टोर	840
8	बिल संख्या 524 दिनाँक 29.1.11, मै0 कात्यायनी जनरल स्टोर	750
9	बिल संख्या 525 दिनाँक 29.1.11, मै0 कात्यायनी जनरल स्टोर	50
10	बिल संख्या 528 दिनाँक 29.1.11, मै0 कात्यायनी जनरल स्टोर	340
11	बिल संख्या 533 दिनाँक 30.1.11, मै0 कात्यायनी जनरल स्टोर	900
12	बिल संख्या 534 दिनाँक 30.1.11, मै0 कात्यायनी जनरल स्टोर	90
13	बिल संख्या 544 दिनाँक 2.2.11, मै0 कात्यायनी जनरल स्टोर	130
14	बिल संख्या 931 व 932 दिनाँक 13.2.11 मै0 ऐडकेशनल व साईटिफिक ईम्पोरियम	60
15	बिल संख्या 947 दिनाँक 23.2.11 मै0 एजुकेशनल एण्ड साईटिफिक इम्पोरियम	95
16	बिल संख्या 948 दिनाँक 24.2.11 मै0 एजुकेशनल एण्ड साईटिफिक इम्पोरियम	60
17	बिल संख्या 96 दिनाँक 23.2.11 मै0 उपाध्याय प्रिटर्ज	400
18	बिल संख्या 98 दिनाँक 24.2.11 मै0 उपाध्याय प्रिटर्ज	400
19	बिल संख्या 3869 दिनाँक 13.2.11 मै0 मोना टैडर्ज	50
20	बिल संख्या 547 दिनाँक 13.2.11 मै0 विकास क्लाथ हाऊस	1350
21	बिल संख्या 209 दिनाँक 13.2.11 मै0 पाल फैन्सी स्टोर	85

22	बिल संख्या 1529 दिनाँक 10.2.11 मै0 क्रिऐटिव इण्डस्ट्री पालमपुर	23851
23	बिल संख्या 1530 दिनाँक 10.2.11 मै0 क्रिऐटिव इण्डस्ट्री पालमपुर	1102

15 पुस्तकालय प्रतिभूति के रख–रखाव के सन्दर्भ में:–

दिनाँक 5.1.13 को स्नातकोत्तर विभाग के 30 छात्रों को उनकी पुस्तकालय प्रतिभूति की ₹3000/– प्रति छात्र की दर से वापिस करते हुए कुल ₹90000 का भुगतान किया गया। इन भुगतान की गई राशियों का विवरण पुस्तकालय प्रतिभूति रजिस्टर में तो दिया गया है परन्तु यह प्रतिभूतियाँ कब वसूली गई थी इससे सम्बन्धित कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया और न ही कोई ऐसा अभिलेख तैयार किया गया है जिसकी जाँच से पता चल सके कि भुगतान की गई प्रतिभूतियाँ पहले वापिस की गई थी अथवा नहीं? अतः वाँछित आवश्यक अभिलेख तैयार न करने का कारण स्पष्ट किए जाएं तथा आन्तरिक जाँच उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाए कि इससे सम्बन्धित कोई दोहरा भुगतान नहीं किया गया है। इस सन्दर्भ में परामर्श दिया जाता है कि जब भी किसी छात्र से प्रतिभूति की राशि वसूल की जाती है तो उसका पूर्ण ईन्द्राज पुस्तकालय प्रतिभूति रजिस्टर में किया जाए तथा प्रतिभूति की राशि वापिस करते समय सम्बन्धित प्रमाण पत्र देकर राशि को वापिस किया जाए ताकि किसी भी दोहरे भुगतान को नकारा जा सके। इस सन्दर्भ में अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

16 अन्य विविध अनियमितताएं:–

(क) दिनाँक 20.2.13 को मै0 सनटैक सिस्टम को फोटोस्टेट मशीन के वार्षिक रख–रखाव प्रभार के रूप में ₹12300/– भुगतान किया गया जोकि छात्र निधियों पर उचित प्रभार नहीं है क्योंकि यह फोटोस्टेट मशीन कार्यालय के प्रयोग हेतु लाई गई प्रतीत होती है। इस सन्दर्भ में यह भी वर्णित किया जाता है कि छात्रों से फोटोस्टेट करवाने पर 50 पै0 प्रति कापी की दर पर शुल्क लिया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण अवधि में कोई भी राशि उपरोक्त शुल्क के रूप में जमा नहीं करवाई गई है जिससे स्पष्ट प्रकट होता है कि अब यह मशीन केवल कार्यालय हेतु प्रयोग की जा रही है जबकि छात्र निधियों का प्रयोग केवल छात्रों को सुविधाऐं प्रदान करने पर ही प्रयोग किया जा सकता है। अतः मशीन का छात्रों को सुविधा प्रदान न करने पर व केवल कार्यालय कार्यों पर प्रयोग करने का कारण स्पष्ट किए जाएं तथा की गई कार्रवाई को नियमानुसार उचित ठहराया जाए।

(ख) दिनाँक 1.5.2012 को स्तानकोत्तर विभाग की मिश्रित निधि से मै0 कम्पयुटैक सिस्टम को 3 टोनर की आपूर्ति करने पर निम्नविवरणानुसार कुल ₹5876 का भुगतान किया गया।

1	2 Tommen Prduct 12 A @ 1500	3000
2	1 H.P. Tommer CC 388 A	2876

इन तीनों टोनर की स्टॉक प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ 30 पर करने के उपरान्त इसे स्नातक व स्नातकोत्तर विभाग के कम्पयूटर को जारी करके स्टॉक से खारिज कर दिया गया। अतः 2 कम्पयूटर के लिए 3 टोनर की खरीद व खपत को उचित ठहराया जाए तथा इस सन्दर्भ में उचित र्कावाई अमल में लाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ग) दिनाँक 6.11.12 को मै0 अन्शुल इलैक्ट्रोनिक से बिल संख्या 175 दिनाँक 26.7.12 द्वारा बिजली का सामान खरीदने पर निम्नविवरणानुसार कुल ₹6605/– का भुगतान किया गया।

Tube Chowk 10 No.	@120 each	1200
Tube Startor 15 No.	@10 each	150
Bulb 60 W 20 No	@10 each	200
Power Point 15 Amp 15 No.	@58 each	870
Switch 15 Amp 15 No.	@58 each	870
Plug 5 Amp 15 No.	@25 each	375
Switch 5 Amp 15No.	@16 each	240
Button Holder 10No.	@20 each	200
M.C. B. 16 Amp 10No	@125 each	1250
M.C.B. 6 Amp 10No	@125 each	1250
	योग	**₹6605**

यह सभी सामान इलैक्ट्रीशियन को जारी किया गया दर्शा कर स्टॉक से खारिज कर दिया गया परन्तु यह सामान कहाँ प्रयोग में लाया गया इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख इत्यादि जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः जाँच उपरान्त वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इस सन्दर्भ में यह भी परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में सामान के प्रयोग सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख तैयार करके तथा सक्षम अधिकारी के सत्यापित करवा कर ही सामान का स्टॉक से खारिज किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) अभिलेख की जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय के विभिन्न छात्र निधि लेखों से सम्बन्धित स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 की धारा 140 के अनुसार स्टॉक में पड़े सामान (स्थाई वस्तुऐं व खपत योग्य वस्तुऐं) का

पूर्ण विवरण तैयार करके प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना अपेक्षित था तथा यह कार्रवाई वर्ष में एक बार माह मार्च में की जानी चाहिए अपेक्षित थी। अतः नियमों की अनुपालना से प्रत्यक्ष न करने का कारण स्पष्ट किए जाए तथा अविलम्ब वाँछित कार्रवाई करके अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

17 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई।

18 **निष्कर्षः—** लेखों के रख—रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)एच(2)सी(15)xi (II)—292 / 78 खण्ड—5—6898—6901,दिनांक 13.11. 2014, शिमला—171009

पंजीकृत प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्राचार्य, राजीव गाँधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला काँगड़ा, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।
2. निदेशक, शिक्षा (उच्चत्तर शिक्षा) विभाग हि0प्र0 शिमला—171001
3. अवर सचिव (उच्चत्तर शिक्षा) हिमाचल प्रदेश शिमला—171002
4. श्री अशोक कुमार सूद, सहायक नियन्त्रक द्वारा...............................

हस्ता / —

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट "A" पैरा संख्या 1 के सन्दर्भ में

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/78 से 03/89

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (ए) का उप पैरा (2), (14), (15), (17), (18)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (बी)	अनिर्णीत
4	पैरा–6	अनिर्णीत
5	पैरा–7 (1)	अनिर्णीत
6	पैरा–7 (2)	अनिर्णीत
7	पैरा–7 (3)	अनिर्णीत
8	पैरा–7 (8)	अनिर्णीत
9	पैरा–7 (9)	अनिर्णीत
10	पैरा–7 (11)	अनिर्णीत
11	पैरा–7 (24)	अनिर्णीत
12	पैरा–7 (25)	अनिर्णीत
13	पैरा–7 (29)	अनिर्णीत
14	पैरा–7 (31)	अनिर्णीत
15	पैरा–7 (34)	अनिर्णीत
16	पैरा–7 (38)	अनिर्णीत
17	पैरा–7 (48)	अनिर्णीत
18	पैरा–7 (49)	अनिर्णीत
19	पैरा–7 (50)	अनिर्णीत
20	पैरा–7 (51)	अनिर्णीत
21	पैरा–7 (53)	अनिर्णीत
22	पैरा–7 (59)	अनिर्णीत
23	पैरा–7 (63)	अनिर्णीत
24	पैरा–8 (ए)	अनिर्णीत
25	पैरा–8 (बी)	अनिर्णीत
26	पैरा–8 (सी)	अनिर्णीत

27	पैरा–8 (डी)	अनिर्णीत
28	पैरा–8 (ई)	अनिर्णीत
29	पैरा–8 (एफ)	अनिर्णीत
30	पैरा–8 (जी)	अनिर्णीत
31	पैरा–8 (एच)	अनिर्णीत
32	पैरा–9 (ए)	अनिर्णीत
33	पैरा–9 (डी)	अनिर्णीत
34	पैरा–9 (ई)	अनिर्णीत
35	पैरा–9 (एफ)	अनिर्णीत
36	पैरा–9 (जी)	अनिर्णीत
37	पैरा–9 (एच)	अनिर्णीत

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/95

1	पैरा–8 (9)	अनिर्णीत
2	पैरा–11 (4)	अनिर्णीत
3	पैरा–11 (10)	अनिर्णीत
4	पैरा–11 (11)	अनिर्णीत
5	पैरा–11 (12)	अनिर्णीत
6	पैरा–11 (3) (i)	अनिर्णीत
7	पैरा–11 (3) (ख)	अनिर्णीत
8	पैरा–13 (3) (ख)	अनिर्णीत
9	पैरा–13 (4)	अनिर्णीत
10	पैरा–13 (5)	अनिर्णीत

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/97

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–6	अनिर्णीत
3	पैरा–7	अनिर्णीत
4	पैरा–8	अनिर्णीत
5	पैरा–9	अनिर्णीत

6	पैरा—12 (1)	अनिर्णीत
7	पैरा—12 (2)	अनिर्णीत
8	पैरा—12 (3)	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1997 से 3/2003

1	पैरा—6	अनिर्णीत
2	पैरा—7	अनिर्णीत
3	पैरा—9	अनिर्णीत
4	पैरा—10	अनिर्णीत
5	पैरा—11	अनिर्णीत
6	पैरा—14 (2)	अनिर्णीत
7	पैरा—15 (क)	अनिर्णीत
8	पैरा—17	अनिर्णीत
9	पैरा—18	अनिर्णीत
10	पैरा—19	अनिर्णीत
11	पैरा—21	अनिर्णीत
12	पैरा—22	अनिर्णीत
13	पैरा—23	अनिर्णीत

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2005

1	पैरा—4	अनिर्णीत
2	पैरा—5	अनिर्णीत
3	पैरा—6 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा—7	अनिर्णीत
5	पैरा—8 (क)	अनिर्णीत
6	पैरा—9	अनिर्णीत
7	पैरा—13	अनिर्णीत
8	पैरा—14	अनिर्णीत
9	पैरा—15	अनिर्णीत
10	पैरा—17	अनिर्णीत

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2005 से 31.3.2011

1	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क जमा करवाने हेतु की गई कार्रवाई के अनुसार)
2	पैरा–4	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
3	पैरा–5	अनिर्णीत	
4	पैरा–6	अनिर्णीत	
5	पैरा–7	निर्णीत	(₹3597 सम्बन्धित कर्मचारी से ब्याज सहित दिनाँक 1.1.2013 को वसूल कर सम्बन्धित खातों में जमा करवा दी गई)
6	पैरा–8	अनिर्णीत	
7	पैरा–9	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
8	पैरा–10	निर्णीत	(की गई कार्रवाई व दिए गये उत्तर के अनुसार)
9	पैरा–11	निर्णीत	(वर्णित राशि चालान संख्या 49 दिनाँक 9.8.2012 द्वारा राजकीय कोष में जमा करवा दी गई)
10	पैरा–12	अनिर्णीत	
11	पैरा–13 (क)	निर्णीत	(ब्याज सहित ₹209505 चालान संख्या 12 व 15 दिनाँक 19.9.2012 द्वारा राजकीय कोष में जमा करवा दी गई)
12	पैरा–13 (ख, ग, घ)	अनिर्णीत	
13	पैरा–14	अनिर्णीत	
14	पैरा–15	निर्णीत	(की गई कार्रवाई के अनुसार)
15	पैरा–16	अनिर्णीत	
16	पैरा–17	अनिर्णीत	
17	पैरा–18	निर्णीत	(उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार)

18	पैरा—18.1	अनिर्णीत	
19	पैरा—19	निर्णीत	(दिए गए उत्तर के अनुसार)
20	पैरा—19 (1)	निर्णीत	(की गई कार्रवाई के अनुसार)
21	पैरा—19 (2)	निर्णीत	(दिए गए उत्तर के अनुसार)
22	पैरा—19 (3)	अनिर्णीत	
23	पैरा—19 (4)	अनिर्णीत	
24	पैरा—20	अनिर्णीत	
25	पैरा—21 (1)	अनिर्णीत	
26	पैरा—21 (2)	अनिर्णीत	
27	पैरा—22	अनिर्णीत	
28	पैरा—23	अनिर्णीत	
29	पैरा—24	निर्णीत	(दिए गए उत्तर के अनुसार)
30	पैरा—25	अनिर्णीत	
31	पैरा—26	अनिर्णीत	
32	पैरा—27	अनिर्णीत	
33	पैरा—28	अनिर्णीत	
34	पैरा—29	अनिर्णीत	
35	पैरा—30	अनिर्णीत	
36	पैरा—31	अनिर्णीत	
37	पैरा—31.1	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का सार

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुसार अनिर्णीत पैरे	115
वर्ष अंकेक्षण प्रतिवेदन में लगाए गए पैरे	(+) 16
वर्ष अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	(–)13
अन्तशेष (दिनाँक 31.3.14 तक)	118